(घ) चूंकि यह एक स्थायी समिति है, अतः इसके लिए एक प्रतिवेदन देना आवश्यक नहीं है। अब तक इसकी सात बैठकें हो चुकी हैं। समिति द्वारा किये गये कार्य की मुख्य विशेषताएं ये हैं :—

(1) खादी का बिक्री बढ़ाने के उपाय शुरू कराना;

(2) भवन के कर्मचारियों की नित्य-प्रति की समस्याओं पर विचार करना; और

(3) बिक्री बढ़ाने के विचार से नये बिक्री केन्द्रों के खोले जाने पर विचार करना।

खादी ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली

7932. **श्री ज्ञा सुन्दरलाल** क्या वाणिज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्थित खादी ग्रामोद्योग भवन में तेल, शहद तथा मसालों की बिक्री अब बन्द कर दी गई है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस कार्य के लिये नियुक्त व्यक्तियों को अन्य किस काम पर लगाने की व्यवस्था की गई है और निगम द्वारा पहले खरीदी जा चुकी वस्तुओं को किस तरह बेचा जायेगा ?

वाणिज्य मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शफी कुरैशी) : (क) जी, हां।

(ख) खादी तथा ग्रामोद्योग भवन, नई दिल्ली द्वारा बेचे गये शहद के सम्बन्ध में उस पर खाद्य अपमिश्रण निरोधक अधिनियम के अन्तर्गत चलाये गये मुकदमे के परिणामस्वरूप शहद की बिक्री 24-8-1966 से बन्द कर दी गई थी। 30 जून, 1967 से तेल तथा मसालों की बिक्री रोकना भी, वांछनीय समझा गया था क्योंकि इन वस्तुओं की शुद्धता की जांच की सुविधाओं का अभाव है।

(ग) सम्बन्धित व्यक्तियों को अन्य ग्रामोद्योग उत्पादों जैसे जूते, चमड़े के माल आदि की बिक्री के काम पर लगा दिया गया है। तेल, मसालों तथा शहद के संभरकों को अपना माल वापस ले जाने के लिये कहा गया है। मसाले उनको वापिस लौटाये भी जा चुके हैं।

गंगापुर सिटी और कोटा के रेल कर्मचारियों द्वारा हड़ताल

7933. **श्री मोठा लाल सैना** : क्या रेलवे मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगापुर सिटी तथा कोटा (पश्चिम रेलवे) के रेल कर्मचारियों ने 14 तथा 15 जुलाई, 1967 को हड़ताल की थी;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस हड़ताल के कारण रेलवे को कितनी हानि हुई है;

(घ) क्या दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

रेलवे मंत्री (श्री च० मु० पुनाचा) : (क) 14 तथा 15 जुलाई को गंगापुर सिटी और कोटा में ऐसी कोई हड़ताल नहीं हुई थी। फिर भी, कुछ फायरमैन बीमारी की छुट्टी के बहाने ड्यूटी पर नहीं आये।

(ख) से (ङ). सवाल नहीं उठता।